

फर्द अहकाम

[नियम 26]

दालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

जै नूर खो नौं

बनाम ... ली० एच० एच० एच० लोकाजी कोठो

मुकदमा

नं० 1127/2012 सन्

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>24/11/2021</p> <p>पत्रावली पेय हुई नुबलाप 500/- की वारिजण की वारिजण की हुई है। प्राथमिकता प्राप्त हुए कं (निवेश) किया है वारिजण को आपकी कम्प्लेक्स है। जति से बाण्ड मौजूदाबाद की कम्प्लेक्स नहीं बाह्य एवं इती लाल पर बाण्ड डालिये कम्प्लेक्स की बाण्ड निवेश किया है। कम्प्लेक्स वारिजण के इतिहास पर हस्तक्षेप नहीं करते। वारिजण के पहला कं। शर्त बाण्ड कम्प्लेक्स की है। फ्रंट बाण्ड वारिजण हाव कं। वारिजण बाण्ड बिट्टा (खासियत) कम्प्लेक्स है पत्रावली कम्प्लेक्स बाण्ड, बाण्ड कि इस बाण्ड बाण्ड लक्ष्मीबाण्ड इतिहास कम्प्लेक्स है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज.)</p>	<p>NOT PENDING</p> <p>कम्प्लेक्स</p> <p>24/11/21</p> <p>अ.नि. जै नूर</p> <p>लोकजी</p> <p>शौकतजी</p> <p>Ind</p> <p>Shekhar</p>